

119/2021

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चाकूर
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान कुम्हारियावाडा

—:आदेश:—

तीनपिप्रा प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुम्हारियावाडा व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकूर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम श्री लकाई जमदी तहसील चाकूर जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2026-29 में खाता संख्या 14,15,21,40, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कुम्हारियावाडा</u> गांव श्री लकाई जमदी पुरा	14,15,21,40	उदीप पुत्र गंगाराम	उहलाद पुत्र गंगाराम
2	<u>बाजडोली</u>	165	उदीप पुत्र गंगाराम	उहलाद पुत्र गंगाराम

शिविर प्रमारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चाकूर

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चाकूर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री उहलाद पुत्र गंगाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रमारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चाकूर